पत्रांक 1557/आयु0 कर, उत्तराखण्ड/प्रवर्तन-अनु0/वा0क0/2017-18/देहरादून।

कार्यालय :-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(प्रवर्तन-अनुभाग)

देहरादून, दिनांक :: 30 :: 06 :: 2017

::परिपत्र::

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रवर्तन कार्यों के संदर्भ में सचलदल इकाई में तैनात अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के लिए निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- 01 जुलाई, 2017 से एवं अग्रेत्तर तिथियों में किये जाने वाले सम्व्यवहारों के लिए गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं यथा पैट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट(पैट्रोल), नेचुरल गैस, एविएशन टरवाइन फ्यूल (ATF) एवं मानव उपभोग हेतु शराब को छोड़कर अन्य जी0एस0टी0 वस्तुओं के परिवहन/भण्डारण से सम्बन्धित माल के सम्बन्ध में मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 के अधीन विहित व्यवस्था में प्रपत्र-16/17/ट्रिपशीट की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में अधिकारी माल और सेवा कर अधिनियम में विहित व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करेंगे तथा नये अधिनियम में उपरोक्तानुसार प्रवहण/संचलन के दौरान भण्डारण के सम्बन्ध में प्रपत्र-16/17/ट्रिपशीट आदि की मांग नहीं करेंगे।

2- गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं यथा पैट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट(पैट्रोल), नेचुरल गैस, एविएशन टरवाइन फ्यूल (ATF) एवं मानव उपभोग हेतु शराब के उत्तराखण्ड में आयात किये जाने पर ऑनलाईन ट्रिपशीट/फार्म-16 की पूर्ववर्ती व्यवस्था जारी रहेगी परन्तु जी0एस0टी0 डीलर द्वारा जी0एस0टी0 वस्तुओं के विनिर्माण हेतु यदि उक्त गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं का आयात किया जाता है तो उन्हें ऑनलाईन ट्रिपशीट/फार्म 16 सम्बन्धी व्यवस्था का अनुपालन नहीं करना होगा।

3- 01 जुलाई, 2017 एवं अग्रेत्तर तिथियों में किये जाने वाले जी0एस0टी0 सम्व्यवहार, जिनमें स्पष्ट रूप से करापवंचन प्रमाणित होता हो, के सम्बन्ध में ही नये अधिनियम एवं नियमों में विहित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। सम्भावनाओं, तकनीकी त्रुटियों एवं बोनाफाईड त्रुटियों के आधार पर किसी प्रवहण में परिवहित माल/संचलन के दौरान भण्डारित माल के अभिग्रहण की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

4- कतिपय व्यापारियों को प्रोविजनल आई0डी0 प्राप्त नहीं हो पायी है, अतः ऐसे व्यापारियों द्वारा टैक्स इन्वाइस/बिल ऑफ सप्लाई पर प्रोविजनल आई0डी0 अप्राप्त अंकित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत आवेदित पंजीयन के निस्तारण हेतु लम्बित होने की स्थिति में उक्त व्यापारी टैक्स इन्वाइस/बिल ऑफ सप्लाई पर GSTIN Applied For अंकित करके माल का परिवहन कर सकते हैं। ऐसे टैक्स इन्वाइस/बिल ऑफ सप्लाई से आच्छादित संव्यवहारों को जांच अधिकारियों द्वारा किसी अन्य प्रतिकूल तथ्य के अभाव में नहीं रोका जायेगा।

5- किसी प्रवहण को रोके जाने के उपरान्त 24 घण्टे के भीतर माल और सेवा कर अधिनियम की धारा-129(1) में विहित व्यवस्थाओं के अनुरूप अवरोधन नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा एवं जारी किये गये अवरोधन नोटिस के परिप्रेक्ष्य में विधि अनुसार यथा अपेक्षित अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।

6– जी0एस0टी0 वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 50 [illegible] ट्रांजिट पास के सम्बन्ध में विहित व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अतः किसी प्रवहण [illegible] ट्रांजिटपास उपलब्ध न होने के आधार पर नहीं रोका जायेगा। उपरोक्त गैर जी0एस0टी0 वस्तुओं के सम्बन्ध में ऑनलाईन ट्रांजिट पास सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहेगी।

7– सचलदल इकाईयों द्वारा चैकिंग के दौरान संग्रहीत बिलों को मुख्यालय द्वारा पूर्व [illegible] प्रारूप में अगले माह की 10 तारीख तक सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित [illegible] हुए अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर (एस0टी0एफ0/टैक्स रिव्यू) वाणिज्य कर को उक्त [illegible] उपलब्ध करायेंगे।

8– कर निर्धारण में तैनात अधिकारी सचल दल इकाइयों से प्राप्त बिलों की [illegible] इनवर्ड/आउटवर्ड सप्लाई की जांच सम्बन्धित व्यापारी की रिटर्न में घोषित विव[illegible] करने के बाद पायी गयी विसंगतियों के आधार पर यथा अपेक्षित कार्यवाही [illegible] सुनिश्चित करेंगे।

9– प्रवर्तन एवं अन्य जाँच अधिकारियों द्वारा संचलन में माल के निरीक्षण के सम्ब[illegible] उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा–68 एवं नियम–138 के [illegible] जारी विज्ञप्ति संख्या 533 दिनांक 30.06.2017 द्वारा संचलन अथवा अभिवहन भण्डार[illegible] प्रावधानित प्रपत्रों का संज्ञान लिया जायेगा।

10– शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (Perishable goods) एवं सांशयिक प्रकृति के [illegible] (Hazardous in nature) जिनमें समय के साथ कीमत में शीघ्रता से ह्रास होता हो, [illegible] वस्तुओं के परिवहन करने वाले प्रवहण/संचलन के दौरान भण्डारण के सम्बन्ध में मा[illegible] सेवा कर अधिनियम की धारा 129(6) के अधीन परन्तुक में विहित प्रावधानों के अ[illegible] निर्धारित समय–सीमा से पूर्व उचित अनुमोदन/आदेश प्राप्त करते हुए य[illegible] प्राथमिकता से निस्तारित करने की कार्यवाही की जायेगी।

जी0एस0टी0 के सफल क्रियान्वयन हेतु परिपत्र में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देश[illegible] अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ0प0सं0 /व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
2– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
3– समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
4– समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
देहरादून।